नगर परिषद, बक्सर
(कार्यालय)

Ph no-06183-223109
Email:- ulb-buxar-bih@bihar.gov.in

पत्रांकः–..........................
दिनांकः–..........................

विकास मित्र के नियोजन हेतु अल्पकालीन आम सूचना–20/2024-25

सर्वसधारण को सूचित किया जाता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी बक्सर का आदेश ज्ञापांक 622 दिनांक 18.12.2024 द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में नगर परिषद बक्सर अन्तर्गत वार्ड समूह 01,02,09 एवं 10 (पुराना वार्ड परिसीमन 2010) में रिक्त विकास मित्र के पद पर नियोजन की कार्रवाई किया जाना है, जिसका जाति बहुलता एवं आरक्षण कोटि निम्नवत हैः–

प्रखड/नगर परिषद का नाम	वार्ड समूह	जाति बहुलता	आरक्षण कोटि	अभ्युक्ति
नगर परिषद, बक्सर	01,02,09, एवं 10 (पुराना वार्ड परिसीमन 2010)	चमार	सामान्य (महिला/पुरूष)	

नियोजन हेतु समय सारणी निम्नवत हैः–

क्र0	नियोजन कार्रवाई की विवरणी	समयावधि
01	रिक्ति का प्रकाशन	05.02.2025 से 15.02.2025
02	आवेदन पत्र पाप्त करना	17.02.2025 से 24.02.2025 तक (कार्यालय अवधि में)
03	मेधा सूची तैयार करना एवं प्रकाशन करना	25.02.2025
04	चयन सूची तैयार करना एवं अनुमोदित कराना	28.02.2025
05	चयन सूची का अंतिम प्रकाशन एवं आपति प्राप्त करना, आपति का निराकरण/नियोजन सूची का प्रकाशन	03.03.2025 से 10.03.2025
06	नियोजन पत्र का वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण	12.03.2025

अर्हत्ता एवं शर्तेः–

1–आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। निर्धारित योग्यता मैट्रिक या समकक्ष के आवेदक नहीं मिलने की स्थिती में नन मैट्रिक, नौवीं पास, आठवीं पास, सातवीं पास, छठा पास एवं पाँचवी पास भी हो सकती है। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी चयनित किया जाएगा। बशर्ते कि वे अक्षर योजना एवं स्वंय सहायता समूह के साथ जुड़ी हो तथा उन्हें सामाजिक कार्यो के प्रगतिशील सकिय महिला हो। (प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है)

2–आवेदक की उम्र दिनांक–01.01.2025 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए।

3–आवेदक नगर परिषद, बक्सर के वार्ड समूह 01,02,09 एवं 10 (पुराना वार्ड परिसीमन 2010) का निवासी होना अनिवार्य है। (आवास प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

4–आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता से संबंधित होना अनिवार्य है। **(जाति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है)**

5–विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा।

6–विकास मित्र के पद पर नियोजन हेतु आवेदन नगर परिषद, बक्सर कार्यालय में डाक के माध्यम से अथवा बंद लिफाफा में सीधे भी प्राप्त कराया जा सकता है।

7–आवेदन पत्र दिनांक–17.02.2025 से 24.02.2025 (कार्यालय अवधि में) के संध्या 05:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा।

8–विकास मित्र के नियोजन के पश्चात सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

9–आवेदक विकास मित्र नियोजन के लिए आवेदन पत्र नगर परिषद, बक्सर के कार्यालय से अथवा www.mahadalitmission.org से प्राप्त करेंगे तथा आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र–6 के अनुसार आवेदन करेंगे।

10– कार्यालय में पूर्व से प्राप्त सभी आवेदन रद्द किया जाता है।

नोटः– विशेष जानकारी हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है। साथ ही विकास मित्र की पुरी चयन प्रक्रिया बिहार महादलित विकास मिशन पटना द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आधार पर किया जायेगा।

10/02/25

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद बक्सर।